प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, मुंबई-400001

Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Mumbai-400001

फोन/Phone: 022- 22660502

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email: helpdoc@rbi.org.in

2 फरवरी 2021

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोननगर समबाया बैंक लिमिटेड और संतरागाछी सहकारी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 29 जनवरी 2021 के आदेश द्वारा निम्नलिखित सहकारी बैंकों पर रिज़र्व बैंक द्वारा "एक्सपोजर मानदंडों और सांविधिक / अन्य प्रतिबंध- यूसीबी" पर जारी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए मौद्रिक दंड लगाया है।

क्रम संख्या	बैंक का नाम	जुर्माना राशि (₹ लाख में)
1	कोननगर समबाया बैंक लिमिटेड, हुगली (पश्चिम बंगाल)	2.00
2	संतरागाछी सहकारी बैंक लिमिटेड, हावड़ा (पश्चिम बंगाल)	2.00

ये मौद्रिक दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी पूर्वोक्त निदेशों में निहित सकल और प्रतिपक्षीय अंतर-बैंक एक्स्पोज़र पर विवेकपूर्ण सीमाओं का पालन करने में बैंकों की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 और धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

31 मार्च 2019 को उपर्युक्त बैंकों की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में रिज़र्व बैंक द्वारा निष्पादित सांविधिक निरीक्षण के दौरान रिज़र्व बैंक के निदेशों के उल्लंघन का पता चला है। उल्लंघन के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उसे यह सूचित किया गया था कि वह कारण बताएं कि निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए उस पर दंड क्यों नहीं लगाया जाए। बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए अतिरिक्त लिखित प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि रिज़र्व बैंक के निदेशों का उल्लंघन/अननुपालन नहीं करने के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के लिए किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर टिप्पणी करना नहीं है।

(योगेश दयाल)

मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/1033